स्पीडपोस्ट/
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सं0-27011/51/2014-आरएण्डडबल्यू
भारत सरकार गृह मंत्रालय,
पुलिस-II डिविजन
पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय
*****

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-01
दिनॉक सितम्बर, 2014

सेवा में,

श्री गोपाल प्रसाद,
मकान न0-210, गली न0-3,
पाल मोहल्ला, निकट-मोहनबाबा मंदिर,
मंडावली, दिल्ली-92

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र

कृपया आप अपने पत्र दिनॉक 16/08/2014 का अवलोकन करें जो सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध है।

2. मांगी गई सूचना बिन्दुवार नीचे दी जा रही है :-

क0	बिन्दु	जवाब
1	सेना के जवानों और अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत को एक जैसा सम्मान नहीं मिलने का **कारण** एवं इस संबंध में सरकारी नीति/नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।	सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा रक्षा बलों में दोहरा मानक नही अपनाया जाता है तथा ना ही कोई फर्क किया जाता है, चूकिं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा रक्षा बलों की सेवा शर्त विभिन्न अधिनियम तथा नियमों द्वारा शासित होती है। इन्ही नियमों के अर्न्तगत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही ये बल कार्य करते है तथा इन्ही के अनुसार सेवाकालीन और सेवानिवृति के पश्चात् के लाभो के लिए पात्र है।
2	सेना एवं अर्द्धसैनिक बल के शहीदों के परिवार को दी जानेवाली सुविधा तथा क्षतिपूर्ति में दोहरा मानक अपनाए जाने के **कारण** एवं इस संबंध में सरकारी नीति/नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।	
3	शांतिकाल में आपरेशन के दौरान सेना और पैरामिलिट्री के कार्य में कोई अंतर नही होने एंव समान चुनौतियों के बावजूद इनके साथ समान व्यवहार नही किये जाने के **कारण** एंव इस संबंध में सरकारी नीति/नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।	
4	युद्धकालीन और शांतिकालीन परिस्थितियों में फर्क के संबंध में सरकारी नीति/नियमावली सहित संपूर्ण जानकारी।	बिन्दु 04 एवं 05, रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है इसे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के सैक्शन 6(3) के तहत् स्थानान्तरित किया जाता है।
5	युद्धकालीन परिस्थितियों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा बाहरी आक्रमण का सामना के दौरान मारे जानेवाले सैनिकों को उच्चतर स्तर का सम्मान वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र दिया जाता है, लेकिन वही सैनिक जब नक्सली इलाके में मारा जाता है तो उसे शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र मिलने का कारण, इस संबंध में सरकारी नीति / नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।	

लगातार-2

0 9 SEP 2014

6 8 10 11	वर्ष 2004–2014 की अवधि में **सेना एवं अर्ध सैनिक बलों** के संयुक्त आप्रेशनों एंव उस दौरान दोनो श्रेणियों के जवानों की मौत में सम्मान, मुआवजा एवं उनके आश्रितों को दी जानेवाली सुविधाएँ के संदर्भ में अपनाए जानेवाले मानदंड सहित संपूर्ण जानकारी। क्रम सं0–7 के संदर्भ में वर्ष 2004–2014 की अवधि के दौरान **सेना एवं सभी अर्धसैनिक बलों** के सम्मान, शहीदों के परिवारों को दी जानेवाली सुविधा तथा क्षतिपूर्ती के कुल निप्टाए गए मामलों की वर्षवार, संख्यावार, श्रेणीवार, वर्तमान स्थितिवार संपूर्ण जानकारी। **सेना एवं अर्धसैनिक बलों** के वेतनमान एंव अन्य सुविधाओं में अतंर का सम्पूर्ण ब्यौरा। **सेना एवं अर्धसैनिक बलों** के सेवा अवधि में मारे जाने एंव सामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाओं (वित्तीय सहायता, छात्रवृति, पेंशन, नौकरी, ऋण) की संपूर्ण जानकारी।	बिन्दु 6. 8. 10 एवं 11 के तहत् रक्षा मंत्रालय एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से सम्बन्धित मांगी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के सैक्शन 6(3) तहत् दिए गए प्रावधान के तहत् आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।
7	जब कोई दुश्मन हमारी सीमाओ का अतिक्रमण करता है या आतंकवाद जैसी हरकतों का सहारा लेना है तो उसे रोकने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सहारा लिया जाता है वही देश के भीतर वृहद स्तर पर सुरक्षा योजना बनाने को असलीजामा पहनाने के लिए पैरामिलिट्रि फार्स, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, सैंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन–बार्डर पुलिस, असम राईफल्स और सशस्त्र सीमा बल देशवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने (जम्मू कश्मीर अलगाववाद, नार्थ ईस्ट उग्रवादी हालात एवं नक्स्ली आंदोलनों से पनपे हालातों पर काबू पाने) में महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद दोनो सेवाओं में फर्क जिस पदाधिकारी/मंत्री के संस्तुति के आधार पर तय किया गया, के नाम व पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी।	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा रक्षा बलों की सेवा शर्त विभिन्न अधिनियम तथा नियमों द्वारा शासित होती है। इन्ही नियमों के अर्न्तगत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही ये बल कार्य करते है तथा इन्ही के अनुसार सेवाकालीन और सेवानिवृति के पश्चात् के लाभो के लिए पात्र है।
9	एक ही बचाव कार्य में लगे सेना व आईटीबीपी के जवानों के जान जाने की स्थिति मे सेना के जवान **शहीद** कहलाने के हकदार और आईटीबीपी के जवान सिर्फ मृतक जिस आधार पर घोषित होते है, की सरकारी नीति नियमावली सहित संपूर्ण जानकारी।	भारत सरकार द्वारा कही पर भी **"शहीद"** शब्द को परिभाषित नही किया गया है। सरकार, संघ के विभिन्न सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदान में कोई भेदभाव नही करती है। इसी प्रकार, गृहमंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में, जिनकी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मृत्यु हो गई हो, ऐसा कोई आदेश/अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तथापि, उनके परिवारों/निकटतम संबंधियों को लिबरलाईज्ड पेंशनरी अवार्ड (एलपीए) नियमावली के अंतर्गत पूरी पारिवारिक पेंशन अर्थात आहरित अंतिम वेतन और स्वीकार्य अन्य अनुग्रह/लाभों के अतिरिक्त नियमानुसार अनुग्रह मुआवजा भी प्रदान किया जाता है।

लगातार–3

0 8 SEP 2014

12	सेना एंव अर्धसैनिक बलों में एक समान नीति एंव नियमावली लागू करने की मांग करने वाले व्यक्ति/संगठन एंव इस हेतु यदि कोई कमेटी/आयोग बना हो और उसने यदि कोई संस्तुति दी जो या प्रस्तावित हो तथा वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमावली में परिवर्तन/संशोधन यदि प्रस्तावित हो तो उसकी संम्पूर्ण जानकारी।	इस सम्बन्ध में कोई कमेटी/आयोग नही है।

5. उपरोक्त के सम्बन्ध में अपील करने की दशा में श्री निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-II), गृह मंत्रालय, कमरा न0 171-बी, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-01, अपीलेट अधिकारी है।

भवदीय,

जी0 सी0 यादव
8-9-2014

(जी0 सी0 यादव)
उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः

1	उपमहानिरीक्षक (प्रशासन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)	उपरोक्त आवेदक से प्राप्त पत्र दिनॉक 16/08/2014 (सभी सलग्न दस्तावेजो सहित) में अकिंत बिन्दु 06,08,10 एवं 11 सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत् आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।
2	उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/सीमा सुरक्षा बल (BSF)	
3	उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)	
4	उपमहानिरीक्षक (आप्स) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (CISF)	
5	उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/सशस्त्र सीमा बल (SSB)	
6	महानिरीक्षक (हैडक्वार्टर) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/ असम राईफल्स (AR) LOAR के माध्यम् से।	

7. अवर सचिव (Coord), डी (आरटीआई), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली - उपरोक्त आवेदक से प्राप्त पत्र दिनॉक 16/08/2014 (सभी सलग्न दस्तावेजो सहित) में अकिंत बिन्दु 04,05,06,08,10 एवं 11 पर सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत् आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

8. अवर सचिव, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय, - को का0ज्ञा0 सं0 27/08/2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

9. के0स0लो0सू0अ0 एवं सहायक निदेशक (प्रशासन), कार्यालय निदेशक, भारतीय डाक विभाग, प्रधान डाकघर, नई दिल्ली-01- -को पत्राकं - बी-2/ विविध-243 / सू0का0अ0अधि0 /05 / 2014-15 दिनॉक 19/08/2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

10. अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय - गृह मंत्रालय की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

जी0 सी0 यादव
8.9.2014

(जी0 सी0 यादव)
उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

CR- 345279/2014/R&10 पत्रा/b18/pcc/14
04/09/2014 29/08/14.

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल प्रसाद का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल प्रसाद के दिनांक 16/08/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ प्रधान डाकघर, नई दिल्ली से अंतरण द्वारा दिनांक: 22/08/2014 को प्राप्त) को पुलिस-II प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 22/08/2014 की रसीद सं. 30127 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है~~।

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

11C/RSW

सेवा में,

1) निदेशक (कार्मिक),
गृह मंत्रालय
नोर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली।

2) निदेशक (कार्मिक-I),
गृह मंत्रालय
नोर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली।

Sh. Aravind

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ गोपाल प्रसाद,
मकान नं.- 210, गली नं. 3
पाल मोहल्ला, मंडावली
दिल्ली - 110092.

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

दिनांक 22-08-2014
Dated.............20.......

सं./No 30427.....

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. गोपाल प्रसाद

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No.......... के दिनांक 20 Dated...........20........

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 27F 670002

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्याक्षर/Initials

रूपये /*Rs.* 10/-

पदनाम / Designation

Dy. No- 4788/RTI/2014
25/8/14

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय निदेशक, प्रधान डाकघर, नई दिल्ली–110001

सेवा में

केन्द्रीय लोक जन सूचना अधिकारी
गृह विभाग , गृह मंत्रालय
नई दिल्ली – 110001

पत्रांकः–बी–2/विविध–243/सू0 का अ0 अधि0'05/2014–15 दिनांक 19–08–2014

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना।**

श्री गोपाल प्रसाद (आरटीआई एक्टिविस्ठ) मकान न0 210, गली न03 पाल मोहल्ला निकट मोहन बाबा मंदिर, मंडावली, दिल्ली.110092 का आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2014 को प्राप्त हुआ के सदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 16–08–2014 आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि आप **वांछित सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध कराएँ,** क्योंकि यह आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्सन 6(3) के अंतर्गत उपरोक्त आवेदन आपको स्थानांतरित किया जाता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत 10 रु. का पोस्टल ऑर्डर (नं. 23 एफ 670002) इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक : यथोक्त

Dir (RWS)
Dir (RWS-I)

के. स. लो. सू. अ. एवं
सहायक निदेशक (प्रशासन)
प्रधान डाकघर, नई दिल्ली–110001

प्रतिलिपि :–

श्री गोपाल प्रसाद (आरटीआई एक्टिविस्ठ) मकान न0 210, गली न03 पाल मोहल्ला निकट मोहन बाबा मंदिर, मंडावली, दिल्ली.110092 – को सूचनार्थ।

प्रेषक : गोपाल प्रसाद (आरटीआइ एक्टिविस्ट)
मकान नं०-210, गली नं०-3, पाल मोहल्ला
निकट मोहनबाबा मंदिर, मंडावली, दिल्ली-92.
मो०- 9910341785
ईमेल- Sampoornkranti@gmail.com

दिनांक: 16.08.2014

914

सेवा में,
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी
रक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)
नई दिल्ली

✓ गृह विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी की माँग

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके विभाग से संबंधित निम्नलिखित जानकारी देने का कष्ट करें :—

(1) सेना के जवानों और अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत को एक जैसा सम्मान नहीं मिलने का कारण एवं इस संबंध में सरकारी नीति / नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी

(2) सेना एवं अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिवार को दी जानेवाली सुविधा तथा क्षतिपूर्ति में दोहरा मानक अपनाए जाने के कारण एवं इस संबंध में सरकारी नीति / नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।

(3) शांतिकाल में ऑपरेशन के दौरान सेना और पैरामिलिट्री के कार्य में कोई अंतर नहीं होने एवं समान चुनौतियों के बावजूद इनके साथ समान व्यवहार नहीं किए जाने का कारण एवं इस संबंध में सरकारी नीति / नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।

(4) युद्धकालीन और शांतिकालीन परिस्थितियों में फर्क के संबंध में सरकारी नीति / नियमावली सहित संपूर्ण जानकारी।

(5) युद्धकालीन परिस्थितियों में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा बाहरी आक्रमण का सामना के दौरान मारे जानेवाले सैनिकों को उच्चतर स्तर का सम्मान वीर-चक्र, महावीर-चक्र और परमवीर चक्र दिया जाता है, लेकिन वही सैनिक जब नक्सली इलाके में मारा जाता है तो उसे शौर्य-चक्र, कीर्ति-चक्र और अशोक चक्र मिलने का कारण, इस संबंध में सरकारी नीति / नियमावली की प्रतिलिपि सहित संपूर्ण जानकारी।

(6) वर्ष 2004-2014 की अवधि में सेना एवं अर्धसैनिक बलों के संयुक्त ऑपरेशनों एवं उस दौरान दोनों श्रेणियों के जवानों की मौत में सम्मान, मुआवजा एवं उनके आश्रितों को दी जानेवाली सुविधाएँ के संदर्भ में अपनाए जानेवाले मानदंड सहित संपूर्ण जानकारी।

P.T.O

(7) जब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता है या आतंकवाद जैसी हरकतों का सहारा लेता है तो उसे रोकने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सहारा लिया जाता है वहीं देश के भीतर वृहद स्तर पर सुरक्षा योजना बनाने को अमलीजामा पहनाने के लि पैरामिलिट्री फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन-बॉर्डर पुलिस, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल देशवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने (जम्मू कश्मीर अलगाववाद, नॉर्थईस्ट उग्रवादी हालात एवं नक्सली आंदोलनों से पनपे हालातों पर काबू पाने) में महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद दोनों सेवाओं में फर्क जिस पदाधिकारी/मंत्री के संस्तुति के आधार पर तय किया गया, के नाम व पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी।

(8) क्रम संख्या-7 के संदर्भ में वर्ष 2004-2014 की अवधि में सेना एवं सभी अर्धसैनिक बलों के सम्मान, शहीदों के परिवारों को दी जानेवाली सुविधा तथा क्षतिपूर्ति के कुल निपटाए गए मामलों की वर्षवार, संख्यावार, श्रेणीवार, वर्त्तमान स्थितिवार संपूर्ण जानकारी।

(9) एक ही बचाव कार्य में लगे सेना व आईटीबीपी के जवानों के जान जाने की स्थिति में सेना के जवान शहीद कहलाने के हकदार और आइटीबीपी के जवान सिर्फ मृतक जिस आधार पर घोषित होते हैं, की सरकारी नीति/नियमावली सहित संपूर्ण जानकारी।

(10) सेना एवं अर्धसैनिक बलों के वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं में अंतर का संपूर्ण ब्यौरा।

(11) सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सेवा अवधि में मारे जाने एवं सामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को दी जानेवाली समस्त सुविधाओं (वित्तीय सहायता, छात्रवृति, पेंशन, नौकरी, ऋण) की संपूर्ण जानकारी।

(12) सेना एवं अर्धसैनिक बलों में एकसमान नीति एवं नियमावली लागू करने की माँग करनेवाले व्यक्ति/संगठन एवं इस हेतु यदि कोई कमिटी/आयोग बना हो और उसने यदि कोई संस्तुति दी हो या प्रस्तावित हो तथा वर्त्तमान केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमावलियों में परिवर्त्तन/संशोधन यदि प्रस्तावित हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी।

इस आवेदन के साथ आवेदनशुल्क हेतु निर्धारित शुल्क Rs 10 का पोस्टल ऑर्डर सं- 27F 670002 दिनांक- 16.8.2014 संलग्न है। कृपया तय समयावधि में हिंदी में जानकारी देने का कष्ट करें।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.08.2014

Gopal Prasad.
(आवेदक का हस्ताक्षर)